फुटबाल की तरह इधर से उधर!

पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में गृह मंत्री पी चिदंबरम पुलिस विभाग में उच्च पद के अधिकारियों के बार-बार तबादलों पर खासे चिंतित नजर आए। उनके अनुसार यह अधिकारी फुटबाल की तरह एक जगह से दूसरी जगह 'किक' किऐ जाते हैं। अगर नेतृत्व देने वाले अधिकारियों को इस बात का भरोसा नहीं है कि वे वर्तमान पद पर कितना समय रहेंगे तो वह कितना अच्छा काम कर पाऐंगे। वह भी ऐसा विभाग जो कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हो?

ऐसा नहीं है कि इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है। हरेक राज्य में एक तबादला नीति होती है जिसका आधारबिन्दु ही यही है कि अधिकारियों का तबादला एक निश्चित समय से पहले केवल अनुशासनात्मक व बेहद जरूरी प्रशासनिक कारणों से ही किए जाए।

ठसके अलावा २००६ में सुप्रीम कोर्ट के पुलिस सुधार सम्बन्धी निर्णय में भी इसका स्पष्ट जिक्र है थाना इंचार्ज से ऊपर के सभी अधिकारियों की पद अवधि कम से कम २ वर्ष होनी चाहिए।

लेकिन राज्य सरकारें इस ओर ध्यान देना अपना कर्तव्य नहीं समझतीं। कानून व नियम का उल्लंघन उनका शौक बन गया है या क्योंकि इस बारे में पुलिस व जनता द्वारा विरोध नहीं किया जाता शायद इसीलिए स्थिति इतनी दयनीय है। नीचे दो राज्यों के तबादलों का ब्यौरा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस अधिकारियों के लिए अच्छा प्रशासन प्रदान करना कितना मुश्किल है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में पुलिस तबादलों की बदहाली जग जाहिर है। कुछ लोगों का तो यह आरोप है कि यह एक उद्योग का रूप ले चुका है जिससे कई लोग कई तरह का फायदा उठाते हैं। वर्तमान सरकार मई २००७ में सत्ता में आई। ऐसे पुलिस अधिकारियों की भरमार है जिनका तबादला अब तक १० बार हो चुका है। यहां तक कि प्रशासनिक मामलों के इंस्पेक्टर जनरल के पद पर जिसकी जिम्मेदारी तबादलों से सम्बन्धित है ७ बार तबदीली हो चुकी है। ऐसा कोई अपवाद जिला ही होगा जिसके जिला पुलिस अधीक्षक ने २ साल का कार्यकाल पूरा किया हो। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के लिऐ ४०४ आई पी एस अधिकारियों का केडर नियत है परन्तु राज्य में केवल २६० आई पी एस अधिकारी ही उपलब्ध हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश के तबादला तूफान से सबको डर लगता है।

पंजाब

ढाई साल पहले जब से अकाली दल-भांजपा गठबंधन सत्ता में आया है तब से पंजाब में चार डी जी पी बदल चुके हैं वह तब जब नए पंजाब पुलिस एक्ट के मुताबिक डी जी पी की पद अवधि कम से कम दो वर्ष होनी चाहिए।

राज्य के खुफिया विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक पद का भी यही हाल है। जे बी बिरदी की जगह शशिकांत आऐ और एक साल बाद उनकी जगह ली सुरेश अरोरा ने। जे बी बिरदी इस दौरान नौ महीने के लिए रेलवे पुलिस में गए, पांच महीने इंटर विजिलेंस सेल में रहे और आठ महीने अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) रहे। पिछले मार्च से वे अ.महानिदेशक (कानून व्यवस्था) के पद पर हैं और शायद नए तबादले का इंतजार कर रहे हैं।

इसके अलावा राज्य के २४ जिलों में से केवल तीन - अमृतसर, लुधियाना व गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों ने अपने पद पर २ साल से अधिक बिताया है बाकी १ वर्ष की नियत पद अवधि का कानून होते हुए भी इतने खुशकिस्मत नहीं रहे।

पंजाब पुलिस एक्ट फरवरी २००८ से ही लागू हुआ है। पुलिस एक्ट के/सेक्शन १५ के अनुसार आई जी, डी आई जी, एस एस पी, एस पी, ए एस पी, डी एस पी व एस एच ओ की पद अवधि कम से कम एक वर्ष की होगी जोकि अधिकतम ३ वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। जाहिर है सरकार अपने ही कानून का उल्लंघन कर रही है। यह जरूरी है कि पुलिस नेतृत्व इस तरह की गैर कानूनी तबादला नीति का विभिन्न तरीकों से विरोध करे। विरोध का असर अगर फौरी नही तो कुछ समय बाद अवश्य होता है। राजनेता जो सरकार चलाते हैं उन्हें समझना चाहिए कि अगर सरकार कानून का उल्लंघन करेगी तो वे सरकारी कर्मियों व आम जनता से कानून पालन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
बी-११७, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव,नई दिल्ली:११००१७, भारत
टेली: +91 11 4318 0200
फैक्स: +91 11 2686 4688
info@humanrightsinitiative.org
www.humanrightsinitiative.org

क्यों नहीं सुलझते अपराध?

हाल ही में आरूषि डबल मर्डर केस व कश्मीर का शोपिया मर्डर केस चर्चा में रहे। ऐसा लगता है कि सबूतों से छेड़छाड़ व बेढंगी जांच पूरे देश में ही अपवाद न होकर आम बात हो गई है।

१४ वर्षीय आरूषि तलवार और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या के लगभग १ वर्ष बाद हैदराबाद की सेंट्रल फारेंसिक लेबोरेटरी ने जानकारी दी कि आरूषि की वेजाइनल सैम्पल की जगह किसी अन्य महिला का वेजाइनल सैम्पल उन्हें भेजा गया था। शायद अगर सही सैम्पल भेजे जाते तो काफी पहले हत्यारे का पता लग जाता। नोएडा पुलिस द्वारा आरूषि के पिता तथा दो अन्य घरेलू नौकरों को गिरफ्तार करने और बाद में रिहा करने के बाद यह एक और चौंकाने वाली घटना है। शक नहीं, कि इससे पुलिस की जांच प्रक्रिया की छवि खराब हुई।

भारत में पुलिस छानबीन गंभीर समस्या है जिसमें बुनियादी बदलाव की जरूरत है। छानबीन की प्रक्रिया में कमी होने के कारण अपराध की तह में पहुंचने में मुश्किल होती है और अपराधी को सजा नहीं मिल पाती।

जाहिर है छानबीन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की जरूरत है। पुलिस सुधार सम्बन्धी सुप्रीम कोर्ट के २००६ के निर्णय में भी इसे रेखांकित किया गया है। अपने छह निर्देशों में से चौथे निर्देश में न्यायालय ने कहा है कि पुलिस प्रणाली के सभी स्तरों पर कानून व्यवस्था पुलिस और जांच पुलिस को बिलकुल अलग किया जाना चाहिए। इससे अपराधों की जांच में तेजी आऐगी और पुलिस की जांच सम्बन्धी विशेषज्ञता भी बटेगी जिसका असर लोगों के पुलिस पर सकारात्मक भरोसे पर भी पड़ेगा। इस निर्देश में कहा गया है कि पुलिस में इस विभाजन को दस लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाए और छोटे शहरों में धीरे-धीरे लागू किया जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि निर्देश जारी होने के तीन साल बाद भी उत्तर प्रदेश ने न्यायालय के इस आदेश को लागू नहीं किया है। आरूषि केस यह दर्शाता है कि राज्य सरकार द्वारा अपनी पुलिस जांच को व्यवसायिक न बनाने के कारण कैसे अपराधी छुटे घूमते हैं। जब ऐसी घटना राष्ट्रीय राजधानी के इतने निकट एक उच्च मध्यम वर्ग परिवार के साथ घट सकती है तो छोटे शहरों अथवा गांवों में अपराध की छानबीन की गुणवत्ता का अन्दाजा लगाया जा सकता है। जब पुलिस अपराधी का पता लगाने में ही नाकामयाब रहेगी तो लोगों का पुलिस में विश्वास कैसे कायम रहेगा।

राज्य सरकारों को पुलिस कानून व्यवस्था व छानबीन शाखा को तुरंत अलग अलग करना चाहिए। उन्हें अपना एक सशक्त गुप्तचर व अपराध विभाग बनाना चाहिए जो आधुनिक जांच व फारेंसिक तकनीक में पारंगत हो।

नोएडा दोहरे हत्याकांड का न सुलझना भारतीय पुलिस प्रणाली की छवि पर एक बदनुमा दाग है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस को समुचित धन का आवंटन हो और उत्तम प्रशिक्षण मिले ताकि वह अपराध सुलझाने वाली एक प्रभावकारी इकाई बन सके।

दिल्ली में पुलिस कर्मियों की कमी

राजधानी को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुंबई हमलों के बाद जो नए पुलिस स्टेशन खोले गए हैं उनमें से अधिकतर आधे से भी कम कर्मचारियों की मदद से चलाए जा रहे हैं एक पुलिस थाने को औसतन १००-१२५ कर्मियों की जरूरत होती है जबकि कई पुलिस थानों में इनकी संख्या ५० से ज्यादा नहीं है। इस बारे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर वाई एस डडवाल का कहना है कि करीब ५५० सब इंस्पेक्टर व ६००० कान्स्टेबल जल्दी ही ट्रेनिंग पूरी करके पुलिस सेवा में शामिल होंगे और यह कमी राष्ट्रमंडल खोलों के आयोजन से पहले पूरी कर ली जाऐगी।

लोक पुलिस के इस अंक में कई लेख हैं। इन्हें पढ़ते हुए आपके मन में कई विचार उभरकर आए होंगे। हो सकता है आपकी राय में हमसे कुछ छूट गया हो या हमारा दृष्टिकोण निष्पक्ष न हो। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, लोक पुलिस में छापेंगे। आपकी राय महत्वपूर्ण है। आपकी राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई.
अंक १
जनवरी २०१०

लोक पुलिस

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

त्रैमासिक पत्रिका

लोक पुलिस और आप

पुलिस के बारे में बहुत खबरें छपती हैं। अगर अखबार उठाकर देखें तो जरूर कोई न कोई खबर मिलेगी जिसमें पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए होंगे।

पुलिस को अपनी बात कहने का कभी मौका नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो यह केवल १० प्रतिशत अपर के अधिकारियों तक सीमित है। वह भी शायद अपनी बात सेवा निवृति के बाद ही कह पाते हैं। उसका पुलिस सुधार या कामकाज पर कितना असर होता है यह शोध का विषय हो सकता है। भारत में लगभग १४ लाख पुलिस कर्मचारी हैं इसमें लगभग ८८: वे हैं जिन्हें कांस्टेबुलरी कहा जा सकता है यानि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे दर्जे के कर्मचारी। अगर देखा जाए तो कांस्टेबुलरी पुलिस कामकाज की रीढ़ की हड्डी है यहीं वह लोग हैं जिन पर पुलिस व्यवस्था की नींव टिकी है।

लोक पुलिस एक प्रयास है नीचे दर्जे के पुलिस कर्मियों यानि आप तक पहुंचने का। आपकी समस्याऐं जानने का, आपका अच्छा बुरा अनुभव हमारे साथ बांटने का। हम अक्सर सुनते हैं पुलिस ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, उस व्यक्ति की एक पक्षीय राय है जिसने कभी पुलिस में नौकरी नहीं की, कभी जोखिम या दबाव नहीं सहा। आप जो पुलिस विभाग में २४ घंटे काम करते हैं आप क्या सोचते हैं पुलिस व्यवस्था में कहां और कैसे सुधार की जरूरत है। या नहीं है आप। क्या सोचते हैं पुलिस कैसी होनी चाहिए आप किस तरह की पुलिस का हिस्सा बनना चाहेंगे।

लोक पुलिस एक कोशिश है आपकी बात लोगों व विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाने का। आप अपनी राय या सुझाव नाम सहित या अज्ञात निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं
लोक पुलिस,
बी ११७ सैकंड फ्लोर, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-१७

एफ आई आर आनलाइन

अक्सर एफ आई आर लिखवाने में समस्या आती है। दूर तक जाना थाने में इन्तजार करना और दस तरह के सवालों के बाद कहीं शिकायत दर्ज की जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं। तकनोलजी ने चीजें आसान बना दी हैं और एफ आई आर इंटरनेट के जरिए घर बैठे दर्ज की जा सकती है। आन्ध्रप्रदेश के सभी थाने इस सुविधा से जुड़ चुके हैं।

आई जी पी टी. कृष्णा प्रसाद के अनुसार राज्य के सभी पुलिस स्टेशन आधुनिकतम तकनीक से लैस हैं और इन सबमें 'इंटिग्रेटेड इन्वेस्टीगेशन फार्म' जांच प्रक्रिया की स्थिति के बारे में जाना जा सकता है।
(सौजन्य टाइम्स आफ इंडिया, १६ नवम्बर २००६)

काम का मारा कांस्टेबल बेचारा

पुलिस स्टेशन पुलिस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बिन्दु है। अगर पुलिस थाने में सभी जरूरी सुविधाऐं हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस अपना कामकाज जनता की संतुष्टि के अनुरूप ठीक ठाक कर पाएगी। लेकिन मौजूदा व्यवस्था में पुलिस स्टेशन को वह अहमितयत नहीं दी जाती जो कि देनी चाहिऐ। यह तथ्य सर्वविदित है और प्रधानमंत्री ने सितम्बर २००६ में डी जी पी सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसको रेखांकित किया है। पुलिस स्टेशन की दशा से नजदीक से जुड़ा सवाल है हमारे पुलिस कान्स्टेबल की कार्यस्थिति। यह आशा करना बेमानी है कि पुलिस व्यवस्था में सुधार कांस्टेबल की कार्य परिस्थितियों में बदलाव किए बिना लाई जा सकती है। कांस्टेबल पुलिस प्रशासन का वह महत्वपूर्ण कर्मचारी है जो आम जनता के संपर्क में सबसे ज्यादा आता है। अपराध होने पर सबसे पहले वह घटनास्थल पर पहुंचता है, सरकार व प्रशासन के खिलाफ अगर जनता का गुस्सा फूटता है तो वह उस गुस्से को झेलता है। आम जनता को मुश्किल में अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो वह उपस्थित होता है। वह चौबीस घंटे कानून की सेवा में अपनी नौकरी बजाता है और किसी भी समय किसी जगह जाने के आदेश का इंतजार करता है।

यह आश्चर्य का विषय है कि पुलिस सेवा का ८८: हिस्सा होते हुए भी पुलिस कांस्टेबल की कार्यदशा, वेतन, आवास सुविधाऐं, ट्रेनिंग, बच्चें की शिक्षा पर उस अनुपात में ध्यान नहीं दिया जाता जिस अनुपात में उनसे सेवा की अपेक्षा की जाती है।

कांस्टेबल से उम्मीद की जाती है कि वह सभी कलाओं में निपुण हो। वह परामर्श, तैराकी, हथियारों व विस्फोटकों के इस्तेमाल, फायरिंग, अपराधी गिरफ्तारी, दंगा नियंत्रण, छापामारी में अत्यंत कुशल हो। और जब भी कहीं खतरों का सामना करना हो तो सबसे आगे हो। १९८४-२००७ के दौरान करीब १८६१४ पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है जो कि इसका सबूत है कि जोखिम के समय निशाने पर यही निचले दर्जे के कर्मचारी होते हैं इतनी सारी जिम्मेदारियाँ व जोखिम उठाने के बावजूद क्या पुलिस कर्मी को उचित सम्मान, सुविधाऐं व तनख्वाह मिलती है?जवाब है नहीं।

हालांकि नये वेतनमान लागू होने के अंतर्गत कांस्टेबल के वेतन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है लेकिन कई तरह की दक्षताऐं होने के बावजूद उन्हें अभी भी अर्धकुशल कर्मचारियों की श्रेणी में रखा गया है। ३० साल पहले राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की पहली रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि कांस्टेबल को एक कुशल कर्मचारी की श्रेणी से रखा जाए परन्तु आज तक यह सिफारिश लागू नहीं की गई अगर ऐसा किया जाता तो न केवल कांस्टेबल की कार्यस्थिति व प्रतिष्ठा में अन्तर आता बल्कि पुलिस प्रशासन की क्षमता में भी सुधार होता।

अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाऐं तो पाऐंगे कि उनके परिवार तो दूर उनके लिए भी ढंग से रहने की जगह नहीं है। उनकी बैरकें संकरी, घुटनभरी व अस्वच्छ हैं। १४ से १८ घंटे काम करने के बावजूद भी उन्हें एक बेहतर आराम की सुविधा नहीं मिलती। ज्यादातर पुलिस कर्मी अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद अपनी सालाना छुट्टी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। त्यौहार कभी-कभी ही अपने परिवार के साथ मना पाते हैं और साप्ताहिक छुट्टी की सुविधा लगभग कभी नहीं पाते और परिवार तथा बच्चों से लगभग कट ही जाते हैं। लगभग ६० प्रतिशत पुलिस बल अगर ऐसा हो तो उनसे अच्छी पुलिस सेवाओं की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अधिक काम के बोझ का एक बड़ा कारण है जरूरत से कम पुलिस कर्मी। भारत मं प्रति १ लाख लोगों पर करीब १४५ पुलिस कर्मी हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह संख्या कम से कम २२२ होनी चाहिऐ कई राज्यों में यह अनुपात १०० से भी कम है। गृह मंत्री पी चिदंबरम के अनुसार १ जनवरी २००८ में पुलिस विभाग में २,३०,५६० पद रिक्त थे। प्रधानमंत्री ने डी जी पी सम्मेलन को संबोधित करते हुऐ राज्यों से आग्रह किया है कि वे इन रिक्तियों को जल्द से जल्द भरें। उम्मीद है इस ओर जल्दी ही अपेक्षित ध्यान दिया जाऐगा।

— पुष्कर राज

क्यों है पुलिस सुधार की जरूरत: ?

हमें भारत में पुलिस सुधार की क्यों आवश्यकता है?

हमारे लोकतंत्र के ६२ वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी भी भारत ने उपनिवेशी पुलिस व्यवस्था विद्यमान है जो नागरिकों के जीवन सम्पत्ति और सबसे महत्वपूर्ण उनकी आजादी की रक्षा करने में पूर्णतया अनुपयुक्त और अक्षम है। भारतीय पुलिस व्यवस्था उपनिवेशी ही रही क्योंकि वह १८६१ के पुलिस अधिनियम द्वारा ही शासित रही। चूंकि पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है और अनेक राज्यों ने अद्यतन पुलिस प्रक्रिया को लागू करने से इनकार कर दिया है, भारतीयों के पास एक ऐसी दमनकारी पुलिस बल बनी रही जिससे नागरिक भयभीत रहते हैं और जिस पर उनका विश्वास नहीं है, जिसका अपने हितों को साधने के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा अकसर दुरुपयोग किया जाता है जिन्हें कम वेतन मिलता है जो कम प्रशिक्षित हैं और जो अपने गलत कार्यों, पक्षपात और भ्रष्टाचार के लिए किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है। नागरिक अपराध और अपराधियों से उतने ही असुरक्षित हैं जितना कि पुलिस से और उन्हें अपने द्वारा भुगतान किए गए करों के एवज में कोई सेवा नहीं मिल रही है। एक ओर राज्य नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के अपने न्यूनतम कर्तव्यों के निर्वहन में असफल है दूसरी ओर पुलिस निम्न मनोबल से पीड़ित है, उपेक्षित महसूस करती है और नागरिकों से कटी हुई है।

पुलिस सुधार क्या है?

लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक पुलिस व्यवस्था चाहिए। उपनिवेशी पुलिस व्यवस्था ने एक ऐसा बल सृजित किया जिसका उपयोग अपने शासकों के लिए नागरिकों को दबाना था। लोकतांत्रिक पुलिस व्यवस्था नागरिकों का एक कुशल, प्रतिक्रियात्मक, नागरिक अनुकूल सेवा प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है जो सिर्फ कानून के प्रति उत्तरदायी है। सुधार का अर्थ पुलिस को पेशेवर बनाने के लिए ठोस कदम उठाना है। अनेक विशेषज्ञ समितियों और आयोगों ने तीन मुख्य पहलुओं की पहचान की है और उच्चतम न्यायालय ने भी २००६ में इसका उल्लेख किया था। एक बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए अनिवार्य कदम इस प्रकार हैं:

१. यह सुनिश्चित करते हुए कि पुलिस का निरीक्षण राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा हो पुलिस प्रणाली के सभी पहलुओं में अनावश्यक और गैर-कानूनी बाहरी हस्तक्षेप की संभावना को दूर करना;
२. यह सुनिश्चित करना कि पुलिस की भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यदशा, उपस्कर, नेतृत्व और पर्यवेक्षण में सुधार कर उन्हें ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि उसका कार्य-निष्पादन इष्टतम हो;
३. एक सुदृढ़ प्रभावकारी और पारदर्शी विभागीय और बाहरी तंत्र के माध्यम से पुलिस के विरुद्ध किसी भी शिकायत पर ध्यान देकर यह सुनिश्चित करना कि पुलिस अपने अच्छे कार्य निष्पादन और गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी हो;

किस प्रकार के ठोस कदम पुलिस सुधार को हासिल कर सकते हैं।

१. पुलिस प्रणाली की सभी पहलुओं में अनावश्यक और गैर-कानूनी हस्तक्षेप को दूर करने के लिए:

- कानून में पुलिस प्रणाली के उन क्षेत्रों को स्पष्ट करे जिनमें राजनीतिक कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो सकता है और नहीं हो सकता है;
- एक स्वतंत्र अर्हता आधारित प्रक्रिया बनाए जिसके माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका पुलिस महानिदेशक का चयन करे और उन्हें एक निश्चित कार्यावधि सुनिश्चित करे ताकि वे स्थानान्तरण के किसी प्रकार के भय या असुरक्षा के बगैर अपने कार्य कर सके;
- सभी पुलिस स्थानान्तरण, तैनाती और पदोन्नति पर निर्णय लेने तथा गैर-कानूनी आदेशों से संबंधित शिकायतों को सुनने के लिए पुलिस विभाग नियंत्रित आंतरिक बोर्ड का गठन करे;
- एस.पी., एस.एच.ओ. और डी.आई.जी. जैसे नेतृत्व के पदों के लिए एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित करें ताकि वे निर्बाध रूप से और राजनीतिक हस्तक्षेप के बगैर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें;
- एक आयोग गठित करें जिसमें सरकार, विपक्ष और निर्दलीय सदस्य शामिल हो जो नीति संबंधी निर्देश दे पुलिस के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करे और पुलिस प्रणाली में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को रोके। इससे पुलिस प्रणाली में द्विपक्षीय अवधारणा सुनिश्चित होगी जिसका अभी अभाव है।

२. संसाधन में और कार्यदशा में सुधार के लिए:

- पुलिस में भर्ती के लिए भर्ती के दो चरण बनाए - कांस्टेबल और भारतीय पुलिस सेवा;
- कांस्टेबलों को कुशल कर्मकार के रूप में पुनः वर्गीकृत करें जिसमें उनके वेतनमान में सुधार होगा;
- एक पुलिस कल्याण बोर्ड स्थापित कर समुचित कार्यदशा सुनिश्चित करे जो स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा और पुलिसकर्मियों की अन्य समस्याओं पर ध्यान देगा;
- अर्हता आधारित भर्ती सुनिश्चित करें तथा उसे प्राथमिकता दें जो विविधता सुनिश्चित करता है;
- पुलिस प्रशिक्षण में सुधार करें जिसमें जांच तकनीक के संबंध में अधिक से अधिक शिक्षा शामिल हो;
- सभी रैंकों के लिए उनके सम्पूर्ण कैरियर में कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करें;
- विस्तृत पुलिस व्यवस्था योजना पर आधारित पुलिस प्रणाली के लिए पर्याप्त बजटीय संसाधन आवंटित करें;
- सुनिश्चित करें कि सभी धनराशि चाहे वह राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित पुलिस आधुनिकीकरण अनुदान हो, पारदर्शी प्रस्तावों पर और पिछली वित्तीय वर्ष के परिव्यय के संतोषजनक लेखा जांच के बाद ही जारी हो;
- सुनिश्चित करें कि पूरे देश के पुलिस थाने को अपने कार्य को ठीक ढंग से करने के लिए अपेक्षित वित्त, अवसंरचना, प्रशिक्षण और कार्मिक मिले।

३. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों को आंतरिक और बाहरी तंत्र द्वारा निपटाया जाए:

विभागीय तंत्र

- पुलिस के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए एक मुस्तैद और पारदर्शी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करें जिसमें शिकायतकर्ताओं को प्रक्रिया और परिणाम के प्रत्येक चरण की जानकारी दी जाए;
- प्रत्येक जिला, रेंज और राज्य मुख्यालयों में शिकायत कक्ष गठित करें;
- ऐसे शिकायतों की संख्या और उनके प्रकार और ऐसे शिकायत के परिणाम की जानकारी राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (एस.पी.सी.ए.) को प्रतिवर्ष दें।

स्वतंत्र बाहरी तंत्र

- पुलिस अधीक्षक के रैंक और उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा गंभीर कदाचार की शिकायत की जांच के लिए एक एस.पी.सी.ए. तथा पुलिस अधीक्षक के रैंक से नीचे के अधिकारियों द्वारा गंभीर कदाचार की शिकायतों की जांच के लिए एक जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण (डी.पी.सी.ए.) गठित करें;
- सुनिश्चित करें कि एस.पी.सी.ए. और डी.पी.सी.ए. स्थानीय पुलिस के प्रभाव से मुक्त रहे तथा उसका नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाए तथा इसमें पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुनें निर्दलीय सदस्यों को शामिल किया जाए;
- सुनिश्चित करें कि इन प्राधिकरण के पास शिकायत की जांच के स्वंय अपने तंत्र हो;
- एक समय सीमा निर्धारित करें जिसके अंदर शिकायतों की अवश्य जांच हो और कार्रवाई की जाए;
- सुनिश्चित करें कि इन प्राधिकरणों द्वारा की गई संस्तुतियां पुलिस विभाग के लिए बाधकारी हों।

पुलिस सुधार को एक वास्तविकता बनाने के लिए

- विधि निर्माताओं और राजनीतिज्ञों में कानून और प्रथा में वास्तव में परिवर्तन लाने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए जो अभी बहुसंख्यकों की कीमत पर सिर्फ कुछ लोगों को ही लाभ पहुंचा रहा है;
- पुलिस को सक्रियता और सकंल्पना से ऐसे परिवर्तन लाने चाहिए जो उनके अधिकार में हैं;
- मीडिया को अच्छी प्रथा और उल्लंघनों का प्रचार करनी चाहिए;
- बेहतर पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन को समर्थन करने और उसकी प्रगति की निगरानी के लिए हम सबों को अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों, पुलिस और एक दूसरे से सम्पर्क करना चाहिए।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव फैक्ट शीट दिसम्बर, २००८

पुलिस सुधार पर
अधिक जानकारी के लिए
www.humanrightsinitiative.org
पर सम्पर्क करें।

पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की नजर

पुलिस सुधारों पर कई आयोग और कमेटियाँ बनी हैं। लेकिन सरकार ने इन पर अमल नहीं किया है। ताकि सरकार पुलिस सुधार फौरी तौर पर लागू करे दो सेवा निवृत पुलिस अधिकारियों ने अदालत की शरण ली। कोर्ट ने २००६ में एक आदेश देते हुए कहा कि पुलिस सुधार फौरन शुरू होने चाहिऐ। अदालत ने अपने निर्णय में राज्य सरकारों को निम्न निर्देश दिए:

१) पुलिस पर सरकार द्वारा गैर कानूनी दबाव न डाला जाए इसके लिए एक राज्य सुरक्षा आयोग बनाया जाना चाहिए। यह आयोग पुलिस के कार्य का मूल्यांकन करेगा और पुलिस सम्बन्धी सरकारी नीति बनाऐगा।
२) पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए और उसका कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष निश्चित होना चाहिए।
३) अन्य पुलिस अधिकारियों जैसे पुलिस अधीक्षक और एस एच ओ का कार्यकाल भी न्यूनतम दो वर्ष होना चाहिए।
४) एक पुलिस प्रतिष्ठान बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जो पुलिस अधिकारियों के सभी स्थानांतरणों, नियुक्तियों व पदोन्नतियों के बारे में निर्णय लेगा ताकि बाहरी दखलअंदाजी न हो।
५) राज्य और जिला स्तर पर स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किए जाने चाहिए जो पुलिस के खिलाफ हिरासत में गंभीर चोट, गंभीर दुर्व्यवहार, मौत या बलात्कार सम्बन्धी जन शिकायत सुन सके।
६) पुलिस के जांच तथा कानून व्यवस्था सम्बन्धी कामों को अलग-अलग किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सितम्बर २००६ में दिए पर राज्यों ने इन निर्देशों को लागू करने में विशेष रूचि नहीं दिखाई। राज्यों के ढुलमुल रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई २००८ में एक निगरानी समिति की स्थापना की। इस समिति को यह अधिकार दिया गया कि यह राज्यों द्वारा पारित पुलिस सुधार कानूनों और आदेशों का अध्ययन करे और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे।

इस निगरानी समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.टी. थामस हैं। इसके अन्य दो सदस्य हैं श्री कमल कुमार, पूर्व आई पी एस अधिकारी व धर्मेन्द्र शर्मा जो कि गृह मंत्रालय में कार्यरत अतिरिक्त संयुक्त सचिव हैं। निगरानी समिति की बैठक हर महीने होती है जिसमें तीन अथवा चार राज्यों में पुलिस सुधार सम्बन्धित पारित कानूनों व आदेशों की समीक्षा की जाती है।

इन बैठकों में नागरिक समाज से व एन.जी.ओ. के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है और उनका पक्ष भी सुना जाता है। सी.एच.आर.आई. इस समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग ले रही है।

एस एम एस से एफ आई आर

लोगों का आमतौर पर यह मानना है कि पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना मोबाइल फोन उठाऐं और एक मैसेज के द्वारा ही अपनी शिकायत दर्ज करवा दें और एफ आई आर की कापी आपके घर पहुँच जाए।

चौंकिये नहीं पंजाब के एक शहर में ऐसा ही हो रहा है। लुधियाना शहर के सराभा नगर पुलिस स्टेशन से ऐसा ही एक समुदाय पुलिस केन्द्र सितम्बर महीने से काम कर रहा है। दो महीने में ही करीब २३८ एफ आई आर दर्ज की गई जिनमे ज्यादातर सामान चोरी होने व छोटी-मोटी चोरी से सम्बन्धित थी। अच्छे परिणाम देखते हुए अब पुलिस दो और ऐसे ही केन्द्र खोलने की तैयारी में है।

केन्द्र में नागरिकों से महीने में कम से कम दो मीटिंग की जाती है जिससे नागरिकों और पुलिस के बीच दूरी कम की जा सके और नागरिकों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास जागृत हो। इस सबका अच्छा परिणाम निकला है पुलिस के मुताबिक जहाँ पहले पुलिस सत्यापन के लिए महीना लग जाता था अब वही काम एक हफ्ते में हो जाता है।

(सौजन्य-टाइम्स आफ इंडिया २८ अक्टूबर २००६)

पुलिस शिकायत प्राधिकरण: इधर कुआँ उधर खाई

अक्सर माना जाता है कि पुलिस से कोई खुश नहीं होता। पुलिस से इस बारे में पूछो तो उनका साफ कहना है कि यह उनके व्यवसाय की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि उनके पास दो पक्ष आते हैं और उनमें से केवल एक संतुष्ट हो सकता है दूसरे को तो शिकायत ही होगी।

लेकिन सच तो यह है कि क्योंकि पुलिस के पास अत्यधिक शक्ति होती है और उस शक्ति का कुछ पुलिस कर्मी नाजायज व गैर कानूनी इस्तेमाल भी करते हैं। नतीजा यह होता है कि इससे पूरा संगठन बदनाम होता है। पुलिस कर्मियों का मनोबल गिरता है और पुलिस से जनता का विश्वास भी कम होता है।

पुलिस की खराब छवि का एक और कारण है। लोगों का मानना है कि पुलिस कर्मी एक और है। लोगों का मानना है कि पुलिस कर्मी सेवा के दौरान कोई अपराध करे तो उसे सजा नहीं मिलती। पुलिस से दूर रहने या डरने में ही भलाई है।

वास्तविकता यह है कि पुलिस के गैर जिम्मेदार व्यवहार पर बहुत सी संस्थाऐं नजर रखती हैं। पुलिस का अपना विजिलेंस विभाग है, राज्यों में अन्य आयोगों जैसे - एस सी, एस टी, अल्पसंख्यक, महिला - के साथ साथ राज्य मानव आयोग भी है। केन्द्र में एक राष्ट्रीय मानव आयोग भी है। विभिन्न राज्य मानव आयोगों तथा राष्ट्रीय मानव आयोग में तो आधे से ज्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ ही होती हैं और उन पर कार्यवाही भी होती है।

इतनी सब संस्थाऐं होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने २००६ के पुलिस सुधार निर्णय में जिला व राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्देश दिया। जिला स्तर शिकायत प्राधिकरण डी एस पी स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें सुनेगा और एस पी तथा उच्च अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें राज्य स्तर का शिकायत प्राधिकरण सुनेगा। जिला स्तर का प्राधिकरण पूर्व जिला जज की अध्यक्षता में काम करेगा जबकि राज्य स्तर के पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष सेवा निवृत हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा। इन प्राधिकरणों में शिकायतों की संख्या के अनुपात में तीन से पाँच अन्य सदस्य भी होंगे। यह सदस्य पूर्व पुलिस, प्रशासनिक और नागरिक समाज से होंगे। प्राधिकरण के पास अपना दफ्तर व कर्मचारी होंगे और शिकायतों की जांच के लिए पुलिस व खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी भी होंगे।

राज्य स्तर का प्राधिकरण केवल गंभीर दुर्व्यवहार जैसे हिरासत में मौत, बलात्कार व गंभीर चोट की जांच करेगा। जिला स्तर का प्राधिकरण उपरोक्त मामलों के अलावा जबरन वसूली, जमीन या मकान हड़पना और कानूनी शक्ति के गंभीर दुरूपयोग की भी जांच करेगा। इस प्राधिकरण की सिफारिशें राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी।

हालांकि जनता इन उपायों से खुश होगी परन्तु जाहिर है पुलिस कर्मी इन प्राधिकरणों को एक और गले का फंदा मानेंगे। दोनों दृष्टिकोणों के अपने तर्क हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एक लोकतांत्रिक देश में सभी सरकारी विभाग जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए और अगर वह कानून के शासन के घेरे से बाहर जाऐ तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ उन सब कारणों की भी गहन जांच करनी चाहिऐ जिसके कारण पुलिस कर्मियों व अधिकारियों का व्यवहार अपेक्षा अनुरूप नहीं होता। पुलिस स्टेशन की आधारभूत दशा में सुधार, पुलिस कर्मियों की काम करने की परिस्थितियों में मूलचूल सुधार व उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने से समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हम पुलिस कर्मियों से उत्तरदायित्व की तभी अपेक्षा कर सकते हैं जब उन्हें अपने कर्तव्य निभाने के लिऐ जरूरी सुविधाऐं भी दें।

– पुष्कर राज

क्या आप जानते हैं देश में पुलिस इकाइयों की संख्या ?

जोन	४३	उपखंड	१७६१
रेंज	१६७	सर्किल	२४७६
जिला	६७२	पुलिस थाने	१३०५७
पुलिस आऊट पोस्ट	७५३५		

स्त्रोतः पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

क्या आप जानते है? देश के पुलिस संगठन में कांन्सटेबल व हैड कांस्टेबल रैंक की संख्या लगभग ३७ प्रतिशत है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जैसे कर्मियों की संख्या लगभग ८७ प्रतिशत है। डी एस पी/ए एस पी से लेकर डी जी पी रैंक तक के अधिकारियों की संख्या कुल पुलिस बल की संख्या का लगभग १ प्रतिशत ही है।